राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (के–204/94) अलेसे– ।।/ **दिनांकः–**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (पंचायत प्रकोष्ठ),
झुंझुनूं।

विषय :– श्री कमलेश कुमार मिश्रा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। का स्थानान्तरण अन्यत्र करने बाबत्।

प्रसंग :– जिला प्रमुख, जिला परिषद्, झुंझुनूं का पत्र कमांक 2294–95 दिनांक 01.03.2019 के कम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री कमलेश कुमार मिश्रा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। का स्थानान्तरण इस विभाग के आदेश संख्या 120/2018–19 दिनांक 25.02.2019 द्वारा आपके यहां सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। के रिक्त पद पर किया गया है, किन्तु आपके द्वारा उसे कार्यग्रहण नहीं करवाकर प्रासंगिक पत्र द्वारा इस निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु भिजवाया गया है।

इस संबंध में लेख है कि वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ.2(19)वित्त/राजस्व/99 दिनांक 30.06.2001 के द्वारा अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मियों को कार्यग्रहण कराने एवं कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश है। आपके द्वारा श्री मिश्रा को बिना कार्यग्रहण करवाये इस निदेशालय को वापिस लौटाना उक्त आदेशों के अनुरूप नहीं है।

अतः श्री कमलेश कुमार मिश्रा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। की इस निदेशालय में दिनांक 05.03.2019 से 08.03.2019 की उपस्थिति को प्रमाणित करते हुए उसे आपके कार्यालय को लौटाते हुए लेख है कि श्री मिश्रा को अविलम्ब कार्यग्रहण करवाकर इस निदेशालय को सूचित करावें।

भवदीय,

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (के–204/94) अलेसे– ।।/2699 **दिनांकः– 08.03.2019**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला प्रमुख, जिला परिषद्, झुंझुनूं को उनके पत्र कमांक 2294–95 दिनांक 01.03.2019 के कम में।
2. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. श्री कमलेश कुमार मिश्रा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। को प्रेषित कर लेख है कि वे अविलम्ब कार्यग्रहण कर इस निदेशालय को सूचित करावें।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–।।)